CNR No. UPVR010051642026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, वाराणसी

प्रथम जमानत प्रार्थना–पत्र सं0 1699/2026

1– नागेन्द्र राजभर।
2– गोविन्द राजभर।
पुत्रगण जंगली निवासीगण घमहापुर, थाना फूलपुर, जिला वाराणसी।

.....प्रार्थीगण/अभियुक्तगण।

बनाम

उ0प्र0 राज्य। ....अभियोजक।

अपराध सं0–132/2026
धारा–190, 191(2), 103(2), 324(5), 3(5) बी0एन0एस0
थाना–फूलपुर कमिश्नरेट, वाराणसी।

एवम्

CNR No. UPVR010052272026

प्रथम जमानत प्रार्थना–पत्र सं0 1731/2026

आशीष राजभर पुत्र मुकुंद निवासी ग्राम घमहापुर, थाना फूलपुर, जिला वाराणसी।

.....प्रार्थीगण/अभियुक्तगण।

बनाम

उ0प्र0 राज्य। ....अभियोजक।

अपराध सं0–132/2026
धारा–190, 191(2), 103(2), 324(5), 3(5) बी0एन0एस0
थाना–फूलपुर कमिश्नरेट, वाराणसी।

एवम्

CNR No. UPVR010053172026

प्रथम जमानत प्रार्थना–पत्र सं0 1749/2026

मनीष राजभर पुत्र मुकुंद निवासी ग्राम घमहापुर, थाना फूलपुर, जिला वाराणसी।

.....प्रार्थीगण/अभियुक्तगण।

बनाम

उ0प्र0 राज्य। ....अभियोजक।

अपराध सं0–132/2026
धारा–190, 191(2), 103(2), 324(5), 3(5) बी0एन0एस0
थाना–फूलपुर कमिश्नरेट, वाराणसी।

Digitally signed by SANDHYA SRIVASTAVA
Date: 2026.06.11 10:53:27 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

<u>09–06–2026</u>

प्रार्थीगण/अभियुक्तगण **नागेन्द्र राजभर** व **गोविन्द राजभर** की तरफ से उपरोक्त मामले में जमानत हेतु जमानत प्रार्थना–पत्र सं0 1699/2026, प्रार्थी/अभियुक्त **आशीष राजभर** की ओर से उपरोक्त मामले में जमानत हेतु जमानत प्रार्थना–पत्र सं0 1731/2026 एवं प्रार्थी/अभियुक्त **मनीष राजभर** की तरफ से उपरोक्त मामले में जमानत हेतु जमानत प्रार्थना–पत्र सं0 1749/2026 प्रस्तुत किया गया है जो शपथ–पत्र से समर्थित है। चूंकि तीनो जमानत प्रार्थना–पत्र एक ही प्रकरण से सम्बन्धित हैं। अतः सुविधा की दृष्टि से तीनो जमानत प्रार्थना–पत्रों का निस्तारण एक साथ किया जा रहा है। अभियुक्तगण न्यायिक अभिरक्षा में निरूद्ध हैं।

प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता, विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी व वादी के विद्वान अधिवक्तागण को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि दिनांक 26–04–2026 को रात्रि लगभग 10.00 बजे वादी अरुण कुमार सिंह का भतीजा मनीष कुमार सिंह जो घमहापुर भरथरा में पत्तल बनाने की फैक्टरी चलाता है। फैक्टरी बंद कर अपने चार पहिया वाहन से घर आ रहा था कि रास्ते में आशीष राजभर, मनीष राजभर, नागेंद्र प्रजापति, दीपक राजभर, मनोज प्रजापति, हरिश्चन्द्र राजभर, योगेन्द्र प्रजापति, गोविंद राजभर और अज्ञात 5–7 लोग लालचन्द प्रजापति के घर के सामने रखी ईट चट्टे के पीछे से वादी के भतीजे की गाड़ी के ऊपर एक राय होकर हमला कर दिए और गाड़ी में वादी के भतीजे की हत्या के उद्देश्य से ईंट मारने लगे जिससे पूरे शरीर पर गंभीर चोटे आईं। विपक्षीगण वादी के भतीजे से रंजिश रखते हैं। उसकी हत्या कर दी। वादी के भतीजे के गले से सोने की चैन भी गायब है।

मृतक मनीष सिंह के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में निम्न चोटें दर्शायी गयी हैं:–

Contusion present 18cm x 15cm over left side of face touching to neck and back side of midline.

Contusion present 5cm x 5cm over left forearm, 8cm above wrist joint and 14cm from left cubital fossa.

Contusion present 4cm x 3cm over left abdomen, 12cm from umbilicus and 7cm from left ASIS.

Abrasion 2cm x 2cm over just below left knee joint.

Contusion present 6cm x 4cm on left temporal region.

Contusion present 4cm x 3cm on right temporal region

मृतक की मृत्यु का कारण ***Coma as a result of ante-mortem cranial injury and other injuries noted above. All the above injuries are possible in the manner as alleged and can cause death in the ordinary course of nature*** अंकित किया गया है।

प्रार्थीगण/अभियुक्तगण **नागेन्द्र राजभर** व **गोविन्द राजभर** की ओर से जमानत हेतु मुख्य रूप से तर्क लिया गया कि उन्हें झूठा फंसाया गया है। उनके द्वारा कोई अपराध कारित नहीं

किया गया है। मृतक जिस चार पहिया वाहन में अकेले था घटना के समय एवं बाद उक्त गाड़ी के सभी शीशे एवं गेट बन्द थे। गांव के लोगों एवं मृतक के परिवार वालों ने किसी तरह से गेट खोलकर मृतक मनीष कुमार सिंह को बाहर निकाले। उनकी मृतक मनीष कुमार सिंह से कोई पूर्व रंजिश नहीं थी। घटना का कोई स्वतंत्र एवं चश्मदीद गवाह नहीं है। मृतक मनीष कुमार सिंह रात्रि 10 बजे अपनी चार पहिया गाड़ी से पी खाकर निकला और उसकी गाड़ी टकरा कर शौचालय के पास खड़ी बिन्दू देवी को बुरी तरफ धक्का मार दी जिससे उसका एक पैर टूट गया और दूसरे पैर में गंम्भीर चोट आयी। सूचना पाकर मौके पर आसपास एवं मृतक मनीष कुमार सिंह के परिवार के लोग आकर किसी तरह से गेट खोले तो मृतक मनीष सिंह स्टेयरिंग से दबा हुआ था और सर में गम्भीर चोट आने के कारण खुन आ रहा था एवं बेहोश हो गया था और मृतक मनीष कुमार सिंह को उनके परिवार के लोग मोटरसाईकिल पर बैठाकर ले गये एवं चोटइल बिन्दू प्रजापति को उनके परिवार के लोग बसनी अस्पताल ले गये और वहाँ से पंण्डित दीनदयाल अस्पताल के ले गये। अभियुक्त नागेन्द्र राजभर उक्त घटना की सूचना पाकर घटना स्थल पर पहुँचा तो मृतक मनीष कुमार सिंह क्षतिग्रस्त अपनी कार में नहीं थे। लोगों ने बताया कि उनके परिवार के लोग घर ले गये। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण निर्दोष है। अतः उन्हें जमानत पर रिहा किया जाय।

प्रार्थी/अभियुक्त **आशीष राजभर व मनीष राजभर** की ओर से जमानत हेतु मुख्य रूप से तर्क लिया गया है कि उन्हें झूठा फंसाया गया है। उनके द्वारा कोई अपराध कारित नहीं किया गया है। कथित घटना का कोई स्वतंत्र जनसाक्षी नहीं है। उनको रंजिशन नामित किया गया है। मृतक अपनी चार पहिया वाहन तेजी से चलाता हुआ जा रहा था कि अचानक असंतुलित होकर बिन्दु प्रजापति को धक्का मारते हुए ईंट के चट्टे से टकरा गया जिससे सर पर गम्भीर चोट लगने की वजह से उसकी मत्यु हो गयी। अभियुक्त घटना दिनांक को घटनास्थल पर नहीं थे बल्कि अपने घर पर थे। दुर्घटना की जानकारी होने पर वह मौके पर पहुंचे थे। वे निर्दोष हैं। अतः उन्हें जमानत पर रिहा किया जाय।

अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी व वादी के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा उपरोक्त जमानत प्रार्थना–पत्र का प्रबल विरोध किया गया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि प्रार्थीगण/अभियुक्तगण पर अन्य सह–अभियुक्तगण के साथ मिलकर ईंट से मारकर वादी के भतीजे मनीष कुमार सिंह की हत्या किये जाने का अभियोग है। घटना का कारण जातिगत विद्वेष व पुरानी रंजिश होना बताया गया है। केस डायरी के पर्चा सं0 1 में वादी के बयान का विवरण दिया गया है जिसमें उसके द्वारा अभियोजन कथानक का समर्थन किया है एवं अन्य अभियुक्तगण के साथ प्रार्थीगण/अभियुक्तगण का नाम लेते हुए कहा है कि "ये सभी लोग लालचन्द प्रजापति के घर के सामने रखी ईंट से गाडी में मेरे भतीजे को हत्या के उद्देश्य से ईंट से मारने लगे जिससे पूरी शरीर पर गंभीर चोटें आयी है। विपक्षीगण मेरे भतीजे से रंजिश रखते है। इसी कारण मेरे भतीजे मनीष कुमार सिंह उपरोक्त की हत्या कर दिये।"

केस डायरी के पर्चा सं0 21 पर बयान गवाह बृजेश गौंड का विवरण दिया गया है जिसमें उसने मुख्य रूप से कहा है कि मैं करीब 8 वर्षों से मनीष सिंह के घमापुर फैक्ट्री में काम करता हूं, कुछ वर्ष पहले घमापुर राजभर बस्ती में लालमन राजभर के कटरे में कुंवर बाजार से बड़ागांव मार्ग पर नहर की पुलिया से कुछ दूरी पर दाहिने तरफ एक देशी और अंग्रेजी शराब की दुकान थी। दुकान के सामने ईदगाह है जहां राजभर समाज के लोग और अन्य लोग शराब पी कर बोतल और पाउच ईदगाह में फेंक देते थे जिससे मुस्लिम समुदाय के लोग बुरा मान कर उसका विरोध किया जाता था। इनके द्वारा न मानने पर मुस्लिम समुदाय के द्वारा प्रशासन से शिकायत किया जिसपर आबकारी विभाग ने दुकान को वहां से हटाने का निर्णय लिया। वहीं से कुछ दूरी पर मनीष भैया ने फैक्ट्री के पास कटरा बनवाया था। उसी कटरे में दुकान खुलवा दी। तब से ही राजभर समाज के लोग (आशीष राजभर, मनीष राजभर, दीपक राजभर, मनोज राजभर, हरिश्चंद्र राजभर योगेंद्र राजभर, गोविंद राजभर नागेंद्र राजभर, बृजेश प्रजापति राजेश प्रजापति, अभिषेक उर्फ बुद्ध, पवन राजभर अजय उर्फ अज्ने) मनीष भैया और उनकी बिरादरी के लोगों से जलन रखने लगे। इस बात की गलतफहमी हो गई कि यह सब किया कराया मनीष भैया का है चूंकि मनीष भैया ठाकुर बिरादरी के थे, इसलिए वे दबंगई कर के देशी शराब का दुकान अपने कटरे में खुलवा लिए। इस घटना को राजभर समाज के लोग ने जातिगत अपमान से जोड़ दिया और उसी नफरत में राजभर समाज के लोग जीने लगे। लगभग 1 वर्ष पूर्व आशीष राजभर, मनीष राजभर, दीपक राजभर, मनोज राजभर, हरिश्चंद्र राजभर योगेंद्र राजभर, गोविंद राजभर नागेंद्र राजभर, वृजेश प्रजापति राजेश प्रजापति, अभिषेक उर्फ बुद्ध, पवन राजभर अजय उर्फ अज्जे शराब पीकर भैया के कटरे के पास झूला तांडव मचाए कि मनीष भैया को उन लोगों को डांटना पड़ा। यह लोग मनीष भैया को जान से मारने की धमकी देते थे।

यह भी कहा है कि हम लोगों के सामने ही यह सभी आशीष राजभर, मनीष राजभर, दीपक राजभर, मनोज राजभर, हरिश्चंद्र राजभर योगेंद्र प्रजापति, गोविंद राजभर नागेंद्र राजभर, बृजेश प्रजापति राजेश प्रजापति, अभिषेक उर्फ बुद्ध, पवन राजभर अजय उर्फ अज्जे लोग मनीष भैया को लात घूंसे से मार कर मनीष भैया को बुरी तरीके से गिरा दिया और आशीष राजभर मनीष राजभर ने मनीष भैया को सर पर ईंट से मारने लगे तब हम लोग जोर से चिल्लाये, इस पर योगेंद्र प्रजापति, गोविंद राजभर नागेंद्र राजभर, व दीपक राजभर ये साले सब देख लिए हैं इन सभी को भी पकड़ो और मार डालो किसी तरह से हम लोग जान बचाकर गांव की तरफ आए तो चिंटू भैया चंद्रेश और प्रिंस भैया मौके पर मिले उन लोगों से हम लोगों ने जल्दी से बात बताई तब यह लोग घटना स्थल के लिए रवाना हुए, कुछ देर में गांव के कुछ और लोगों के लेकर पहुंचे तो मनीष भैया अचेत अवस्था में पड़े थे और उन लोगों द्वारा मारा जा रहा और गाड़ी तोड़ा जा रहा था। हम लोगों को देख कर वह लोग भाग गए। मनीष भैया को अचेत अवस्था में बाइक पर लाद कर घर लाया गया। वहां से कार में लादकर अस्पताल लेकर जाया गया जहां पर डाक्टर द्वारा मृत घोषित कर दिया गया। इसी प्रकार का बयान गवाह अंकुर सिंह, सुनीत उर्फ चिंटू ने भी दिया है।

केस डायरी के पर्चा सं0 21 पर ही बयान गवाह प्रिंस सिंह, चंद्रेश उर्फ छोटू सिंह, अंकिता सिंह, सुषमा सिंह का बयान अंकित है जिसमें उन्होने भी अभियोजन कथानक का समर्थन किया है।

दौरान विवेचना प्रार्थीगण/अभियुक्तगण आशीष राजभर व मनीष राजभर को पुलिस से मुठभेड के दौरान पकड़ा गया। अभियुक्त आशीष राजभर के पास से एक अदद नाजायज असलहा व एक अदद जिंदा कारतूस .315 बोर तथा अभियुक्त मनीष राजभर के पास से एक अदद नाजायज असलहा व एक अदद जिंदा कारतूस .315 बोर बरामद होना तथा पूछताछ में अभियुक्तगण द्वारा उक्त अपराध में अपनी संलिप्तता स्वीकार किया जाना अभिकथित है।

कथित रूप से अभियुक्तगण नागेन्द्र राजभर, गोविन्द राजभर, आशीष राजभर व मनीष राजभर द्वारा कारित अपराध गंभीर प्रकृति का है। पत्रावली में उपलब्ध अभियोजन प्रपत्रों को दृष्टिगत रखते हुए इस तथ्य की सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता कि अभियुक्तगण द्वारा पूर्व नियोजित साजिश के तहत मृतक की नृशंस हत्या ईंट से मार–मारकर की गयी है।

अतः मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए गुण–दोष पर कोई राय व्यक्त किये बिना प्रार्थीगण/अभियुक्तगण द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थीगण/अभियुक्तगण **नागेन्द्र राजभर** व **गोविन्द राजभर** की तरफ से उपरोक्त मामले में प्रस्तुत जमानत प्रार्थना–पत्र सं0 1699/2026, प्रार्थी/अभियुक्त **आशीष राजभर** की ओर से उपरोक्त मामले में प्रस्तुत जमानत प्रार्थना–पत्र सं0 1731/2026 एवं प्रार्थी/अभियुक्त **मनीष राजभर** की तरफ से उपरोक्त मामले में प्रस्तुत जमानत प्रार्थना–पत्र सं0 1749/2026 तद्नुसार निरस्त किये जाते हैं।

इस आदेश की एक प्रति जमानत प्रार्थना–पत्र सं0 1731/2026 व 1749/2026 की पत्रावली में रखी जाय।

दिनांक : 09–06–2026

(संध्या श्रीवास्तव)
प्रभारी सत्र न्यायाधीश,
वाराणसी

Steno-Md. Imran

JO Code-UP 6203